पत्रांक–12 / विविध–01 / 2018......–250

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

सभी प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, (CTE)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC)

प्रखण्ड अध्यापक शिक्षा संस्थान (BITE)

पटना, दिनांक–...19/07/2021

विषय :–प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से संचालित संस्थान / महाविद्यालय के वेबसाइट के अनुबंध को नवीनीकृत किए जाने के संबंध में।

प्रसंगः– अधोस्ताक्षरी का पत्रांक–149 दिनांक–03.05.2021.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि डी.एल.एड. कोर्स के सत्र 2021–2023 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई है। अतएव पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही उक्त सत्र में प्रशिक्षुओं का नामांकन की प्रक्रिया तुरंत प्रारम्भ होनी है। आपको निदेश दिया जाता है कि यदि आपके संस्थान / महाविद्यालय का वेबसाइट समाप्त हो गया है तो अविलम्ब नियमानुसार (क्रय समिति के माध्यम से) वेबसाइट को क्रियान्वित करने की कार्रवाई करें। वगित वर्ष में कतिपय एजेंसियों द्वारा यदि बच्चों को फार्म के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की वसूली की गई है और यदि ऐसी एजेन्सी आपके संस्थान में रही है या है तो उससे अनुबंध न करें साथ ही यदि किसी एजेंसी का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा है तो भी उनके साथ अनुबंध न करें। इसे सर्व प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

19/7/21

(विनोदानन्द झा)

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।